Schedule XLH-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.-15/2026

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

Miscellaneous Case No.-15/2026

Ramnandan Bhagat ....Appellant

Versus

The State of Bihar & Others ....Respondents

Serial No.	Date of order of procedding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.1.2026	अभिलेख उपस्थापित । Petitioner के विद्वान अधिवक्ता को सुना। तथा सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना। यह Petition आर्बिट्रेशन वाद संख्या-149/2023 (रामनन्दन भगत बनाम राज्य) में इस न्यायालय द्वारा दिनांक-24.12.2025 को पारित अंतिम आदेश के अनुपालन के संदर्भ में कतिपय कठिनाईयों के निराकरण हेतु दायर किया गया है । आर्बिट्रेशन वाद संख्या-149/2023 के अभिलेख तथा पारित अंतिम आदेश (24.12.2025) का अवलोकन किया। आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा-सह-Arbitrator द्वारा उक्त आर्बिट्रेशन वाद संख्या-149/2023 में पारित अंतिम आदेश में आवेदक के प्रश्नगत अर्जित भूमि के किस्म को 'कृषि' से Rectify करते हुए 'विकासशील' श्रेणी निर्धारित करते हुए तदनुसार मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया है । Petitioner के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बहस में उपस्थापित कानूनी बिन्दुओं के आलोक में समाहर्त्ता, सहरसा को आदेश दिया जाता है कि The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के धारा-26(1) के अनुसार Preliminary Notification 3A (04.8.2020) की तिथि को प्रश्नगत खेसरा के लिए विकासशील श्रेणी हेतु दर निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुमान्य मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करेंगे। उक्त मौजा के लिए तत्समय प्रभावी MVR में कृषि एवं आवासीय श्रेणी हेतु निर्धारित दर के बीच Proportional दर निर्धारित करेंगे। जो कृषि एवं आवासीय श्रेणी हेतु निर्धारित MVR दर के औसत से कम नहीं होगा । उपरोक्त आदेश के साथ इस विविध वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति समाहर्त्ता, सहरसा को अनुपालन हेतु भेजें । 19/1/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator लेखापित एवं शुद्धित । 19/1/26. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator	